न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 13 / 2018

निर्णय दिनांकः— 01.10.2020

1. श्रीमती अनिता पत्नि श्रीनिवास जाति मीना निवासी बेगमपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक प्रार्थीया

बनाम

1. रामसहाय पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्नगत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री बाबूलाल कासलीवाल प्रार्थीया

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 रकबा 2.60 है0, ख0न0 764 / 18 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92 हैं. वाके ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीया अपने पुर्वजों के समय से खातेदारी भूमि पर ग्राम चौरू से मण्डावरा जाने वाले रास्ते से होते हुए आराजी ख0न0 22 रकबा 2.74 है वाके ग्राम मण्डावरा की मेड पर से होकर अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आते जाते है तथा इसी रास्ते मे होकर प्रार्थी अपने ट्रैक्टर ट्रोली व कृषि उपकरण उत्यादि लाते ले जाते रहे है।

प्रार्थीया अपने खातेदारी की भूमि पर ट्रैक्टर लेकर हकाई जुताई करने जाने लगा तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को पूर्वजों के समय से निकल रहे रास्ते से आने जाने नही दिया पत्थर के चीरे व तारबंदी करते हुए बंद कर दिया तथा प्रार्थी को उक्त रास्ते से निकलने नही दिया, जिससे प्रार्थीया के खेत मे आने जाने के रास्ते को बन्द कर देने के कारण प्रार्थीया का अपने खेत पर आना जाना ही बंद हो गया है। उक्त आराजी पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 रकबा 2.60 है0, ख0न0 764 / 18 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92 हैं. वाके ग्राम मण्डावरा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 22 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मण्डावरा से उतरी पुर्वी मेड से 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने की आदेश प्रदान करते हुए करते हुये प्रार्थीया को नियमानुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद सूचना के प्रतिपक्षीगण अनुपस्थित । अतः एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी पर आने जाने के रास्ते के बारे मे तहसीलदार उनियारा से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 25.08.2020 के मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 रकबा 2.60 है0, ख0न0 764 / 18 रकबा 0.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92 हैं. वाके ग्राम मण्डावरा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 22 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Srevenue251a96

A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

...की खातेदारी की भूमि की उत्तरी मेड़ से रास्ता चाहा गया है। ख0न0 22 गै0 मु0 नाला के नजदीक है एवं नाले होने तथ मौके पर खसरा न0 22 के खातेदार द्वारा पूर्व से ही मेड बंदी की हुई है। खसरा 22 के नजदीक गै0 मु0 नाला एवं ग्राम की अंतिम सीमान होने पर नाले मे से रास्ता देने पर केचमेंट एरिया का बहाव बंद होता है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीया द्वारा आपत्ति जताई गई एवं पुनः मौंका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया गया । **तहसीलदार उनियारा से दिनांक 18.09.2020 को पुनः मौंका रिपोर्ट तलब** की गई । मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त ख0न0 पर आने जाने हेतु रास्ता दर्ज नही है। वर्तमान में खसरा0 21, 21/657 व ग्राम सद्दीकनगर का ख0न0 40 राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक किस्म गै0 मु0 नाला दर्ज है जबकि ख0न0 22 रकबा 2.74 खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में ग्राम मण्डावरा के ख0न0 21 में से 80 मीटर, ख0न0 21/657 में से 4 मीटर, ख0न0 22 मे से 120 मीटर व ग्राम सद्दीकनगर के ख0न0 40 मे से 12 मीटर रास्ते मे से आना जाना होता था जो वर्तमान में ग्राम मण्डावरा के ख0न0 22 मे खातेदार ने मौके पर रास्ता बन्द कर रखा है एवं ख0न0 21 पर ग्राम मण्डावरा के रामसहाय पुत्र जयनारायण मीणा ने अतिक्रमण कर मौके पर स्थित रास्ते को अवरूद्व कर रखा है। एवं ख0न0 21/657 व ग्राम सद्दीकनगर के ख0न0 40 में मौके पर रास्ता है।

प्रार्थीया वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 21, 21/657 व ग्राम सद्दीकनगर का ख0न0 40 राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक किस्म गै0 मु0 नाला दर्ज है जबकि ख0न0 22 रकबा 2.74 खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में ग्राम मण्डावरा के ख0न0 21 में से 80 मीटर, ख0न0 21/657 में से 4 मीटर, ख0न0 22 मे से 120 मीटर व ग्राम सद्दीकनगर के ख0न0 40 मे से 12 मीटर रास्ते मे से आना जाना होता था जो वर्तमान में ग्राम मण्डावरा के ख0न0 22 मे खातेदार ने मौके पर रास्ता बन्द कर रखा है एवं ख0न0 21 पर ग्राम मण्डावरा के रामसहाय पुत्र जयनारायण मीणा ने अतिक्रमण कर मौके पर स्थित रास्ते को अवरूद्व कर रखा है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये सुलभी रास्ता दिया जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थीया को उनकी उक्त खातेदारी की भूमि मे होकर रास्ता नही दिया जाता है तो वे अपने सुखाधिकार से वंचित हो जावेगें। प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 रकबा 2.60 है0, ख0न0 764/18 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मण्डावरा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 22 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मण्डावरा की खातेदारी की भूमि की उत्तरी मेड़ के सहारे 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 17 रकबा 2.60 है0, ख0न0 764/18 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मण्डावरा पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 22 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम मण्डावरा की खातेदारी भूमि की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे से ख0न0 21 किस्म गे0 मु0 नाले तक 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे । एवं उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये तथा ख0न0 21 पर स्थित रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। रास्ता सिर्फ प्रार्थीया के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Srevenue251a97

13-3-19 ले पेश हो